web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
# न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

**आवश्यक सूचना**

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, मंगलवार 21 मार्च 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 171

## महत्वपूर्ण एवं खास

### राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो सकता है राम सेतु, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है। देश के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि हम इस पर शीघ्र सुनवाई करेंगे। इससे पहले 19 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दिए हलफनामे में कहा था कि रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की प्रक्रिया पर संस्कृति मंत्रालय लगातार काम कर रहा है।

### केरल हाईकोर्ट ने देवीकुलम के माकपा विधायक ए. राजा को ठहराया अयोग्य

**कोच्चि (आरएनएस)।** केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को माकपा विधायक ए. राजा को अयोग्य घोषित कर दिया। जांच में यह पाया गया कि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित नहीं हैं, जिसके लिए इडुक्की के पहाड़ी जिले में देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। राजा के खिलाफ मामला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ उम्मीदवार डी. कुमार ने दायर किया था। कुमार अप्रैल 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में राजा से 7,848 वोटों से हार गए थे। कुमार ने आरोप लगाया था कि राजा परिवर्तित ईसाई समुदाय से हैं और उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीट के लिए खुद को चुनाव लडऩे के योग्य बनाने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया था। फैसले के परिणामस्वरूप, राजा वर्तमान विधानसभा सत्र में भाग नहीं ले सकते।

### सारण में बोरी में बंद दो लोगों का शव बरामद

**छपरा (आरएनएस)।** बिहार में सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने सोमवार को बोरी में बंद दो लोगों का शव बरामद किया। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि स्थानीय लोगों से मिली सूचना के आधार पर गुलरिया घाट के समीप सडक़ किनारे दो बोरी में बंद दो लोगों का शव बरामद किया गया है। मृतकों की पहचान नहीं की जा सकी है। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

### नहीं होगी लिव इन रिलेशनशिप की रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की य़ाचिका

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे अव्यवहारिक बताया है। याचिका में श्रद्धा वालकर और निक्की यादव हत्याकांड का हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया था कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे संबंध लगातार जघन्य अपराध की वजह बन रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि गोपनीय तरीके से चल रहे ऐसे संबंध लगातार जघन्य अपराध की वजह बन रहे हैं। लिव इन पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए उनके संबंध की जानकारी पुलिस के पास होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट की वकील ममता रानी की याचिका में लिव इन में रह रहे लोगों की संख्या की जानकारी जुटाने की भी मांग की गई थी।

# विश्व वानिकी दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल आज करेंगे राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना' का शुभारंभ

- मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत 5 वर्षों में 1.80 लाख एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य
- अब तक लगभग 20 हजार हितग्राहियों के 30 हजार एकड़ से अधिक निजी भूमि वृक्षारोपण हेतु पंजीकृत
- किसानों को सालाना प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रूपए तक की होगी आय

**रायपुर ।** मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर विधानसभा में दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी ''मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना'' का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर करेंगे। इस अवसर पर संसदीय सचिव द्वय शिशुपाल सोरी तथा चन्द्रदेव प्रसाद राय भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री बघेल इस अवसर पर विभिन्न वनमंडलों में 'मुख्यमंत्री वृक्षसंपदा योजना' के हितग्राहियों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस योजना को लागू किए जाने की घोषणा की है। इस योजनांतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों की सहमति पर उनके भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाना है।

मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजना अंतर्गत किसान, इच्छुक भूमि स्वामी, शासकीय, अर्ध शासकीय एवं शासन के स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा 1 वर्ष में 36 हजार एकड़ तथा 5 वर्षों में 1 लाख 80 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुल 15 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा 5 एकड़ तक वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 50 प्रतिशत वित्तीय अनुदान देगी। चिन्हित वृक्ष प्रजातियों की खरीदी हेतु न्यूनतम क्रय मूल्य का निर्धारण भी शासन द्वारा किया जाएगा। 5 वर्षो में रोपित सभी प्रजातियो के वृक्ष परिपक्व होने पर उनका मूल्य 10 हजार करोड़ रुपये होने की सम्भावना है। इस योजना से किसानों को प्रति एकड़ प्रतिवर्ष 15 हजार से 50 हजार तक आय सम्भावित है। इसके अतिरिक्त कार्बन क्रेडिट के माध्यम से भी किसानों को अतिरिक्त आय होगी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार तथा वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा योजनांतर्गत अब तक 19 हजार 653 हितग्राहियों के लगभग 30 हजार एकड़ निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु पंजीयन किया जा चुका है।

**राज्य में इस वर्ष 12 प्रजाति के वृक्षों का 30 हजार एकड़ रकबे में होगा रोपण-** इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष सम्पदा योजनांतर्गत राज्य में इस वर्ष 12 प्रकार के प्रजाति के वृक्ष का 30 हजार एकड़ रकबे में रोपण किया जाएगा। इनमें से क्लोनल यूकलिप्टस का 17 हजार 182 एकड़ में, रूटशूट टीक का 6 हजार 456 एकड़ में, टिश्यू कल्चर का 2 हजार 617 एकड़ में, चंदन का 1 हजार 462 एकड़ में, मेलिया दुबिया का 8 सौ 34 एकड़ में, सामान्य बांस का 7 सौ 37 एकड़ में, टिश्यू कल्चर बम्बू का 6 सौ 7 एकड़ में, रक्त चंदन का 1 सौ 26 एकड़ में, आंवला का 43 एकड़ में, खमार का 40 एकड़ में, शीशम का 20 एकड़ में तथा महानीम का 20 एकड़ रकबे में लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

**योजना अंतर्गत सभी वर्ग के इच्छुक भूमि स्वामी होंगे पात्र-** मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना अंतर्गत समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी पात्र होंगे। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय तथा शासन के स्वायत्व संस्थान जो अपने स्वयं के भूमि पर रोपण करना चाहते हैं, पात्र होंगे। इसी तरह निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायतें, भूमि अनुबंध धारक, जो अपने भूमि में रोपण करना चाहते हैं, वे पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इसके तहत राज्य के सभी कृषकों, शासकीय, गैर शासकीय, अर्धशासकीय, पंचायतें, अथवा स्वायत्व संस्थानों की भूमि पर वाणिज्यिक प्रजातियों के वृक्षारोपण उपरांत सहयोगी संस्था, निजी कंपनियों के माध्यम से निर्धारित समर्थन मूल्य पर वनोपज के क्रय की व्यवस्था करते हुए एक सुदृढ़ बाजार व्यवस्था आदि सुनिश्चित करना है।

## दिल्ली आबकारी नीति मामला : ईडी के सामने पेश हुईं बीआरएस नेता के.कविता

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान परिषद सदस्य के. कविता सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दूसरे दौर की पूछताछ में शामिल होने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्यालय पहुंचीं। गुरुवार (16 मार्च) को उनसे दूसरे दौर की पूछताछ की जानी थी, लेकिन वो नहीं पहुंची, यह कहते हुए कि वह ईमेल के माध्यम से जवाब देंगी।

उसके बाद, ईडी ने उन्हें 20 मार्च को जांच में शामिल होने के लिए एक और समन भेजा।

अपनी पहली उपस्थिति के दौरान, उनका सामना हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण पिल्लई से हुआ था, जिन्होंने साउथ ग्रुप का प्रतिनिधित्व किया, जिसने कथित तौर पर आप नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था।

पिल्लई ने कहा है कि वह कविता के सहयोगी थे। ईडी ने 15 मार्च को बीआरएस एमएलसी के पूर्व ऑडिटर और साउथ ग्रुप के सदस्य बुच्ची बाबू का बयान दर्ज किया था। कविता ने कहा है कि वह दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से कभी नहीं मिलीं। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है। कविता का कहना है कि इस मामले में उनका नाम अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। ईडी के मुताबिक, कविता भी आबकारी नीति मामले में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक हैं।

## बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में 47.1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

- ईडी ने की बड़ी कार्यवाई

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोजरी एजुकेशन ग्रुप और उसके भागीदारों विनय अरन्हा और विवेक अरन्हा की 47.1 करोड़ रुपये की चार अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी ने पुणे पुलिस द्वारा कॉसमॉस बैंक के शिवाजी वि_ल काले की शिकायत पर विनय अरन्हा और विवेक एंथनी अरन्हा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने संपत्ति के फर्जी दस्तावेज जमा करके कॉसमॉस बैंक से 20.44 करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

ईडी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपियों ने 2013-14 में कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक पुणे से कार लोन सहित कई लोन्स प्राप्त किए थे, बंधक के लिए गढ़े हुए संपत्ति के दस्तावेज जमा करके और लोन प्राप्त करने के लिए इनका अत्यधिक मूल्यांकन किया था, जिसके लिए वे अन्यथा अयोग्य थे।

विनय अरन्हा ने फर्जी कार्य चालान (रोजरी स्कूलों के नवीनीकरण की आड़ में) प्रस्तुत किया और फर्जी विक्रेताओं को ऋण वितरित किया, जिसे तुरंत नकद में वापस ले लिया गया और उसे वापस कर दिया गया। ईडी ने कहा कि उन्होंने फंड ट्रेल जांच भी की और पाया कि विनय अरन्हा ने ऋणों को डायवर्ट किया और करोड़ों रुपये नकद प्राप्त किए। उन्होंने पैरामाउंट इंफ्रास्ट्रक्च र, शब्बीर पाटनवाला, अश्विन कामत, दीप्ति एंटरप्राइजेज और अन्य को 34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वितरित की।

अधिकारी ने कहा, इन सभी तथाकथित वेंडर्स ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया और अरन्हा को कैश लौटा दिया। बार-बार मौका देने के बावजूद विनय अरन्हा ने कैश के इस्तेमाल का कोई हिसाब नहीं दिया है। यहां तक कि उनके स्कूलों में भी उन्होंने 2012 से राजस्व, व्यय और आय का कोई लेखा-जोखा नहीं रखा और कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया।

ईडी ने कहा कि यह सब उद्देश्यपूर्ण तरीके से विनय अरन्हा को उसकी सनक और कल्पना के अनुसार धन निकालने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने मशहूर हस्तियों पर बड़ी रकम खर्च की और आत्मर्ध के लिए पर्व कार्यक्रमों (विनय अरन्हा फाउंडेशन के नाम पर) की मेजबानी की और कई लग्जरी कारें भी खरीदीं। ईडी की जांच के दौरान, वह टालमटोल करने वाला और असहयोगी था और उसने ईडी के कई सम्मनों का जवाब नहीं दिया।

केंद्रीय एजेंसी ने विनय अरन्हा को 10 मार्च को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल 20 मार्च तक ईडी की हिरासत में है।

### एयर इंडिया पेशाब मामला

## अनियंत्रित व्यवहार पर दिशानिर्देश के लिए पीड़िता ने किया एससी का रुख

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** एयर इंडिया में पेशाब करने के मामले में पीडित ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) और एयरलाइन कंपनियों को निर्देश देने की मांग की कि विमान में सवार यात्रियों के दुर्व्यवहार की घटनाओं से निपटने के लिए नियम बनाए जाएं। पीड़ित ने स्पष्ट जीरो-टोलरेंस की नीति पर जोर दिया और कहा कि ऐसे नियम हों जिसमें कानून प्रवर्तन को रिपोर्ट करना अनिवार्य हो, विफल होने पर सभी मामलों में एयरलाइनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मीडिया को कार्यवाही पर रिपोर्टिंग करने से रोकने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि फ्लाइट में अत्यधिक शराब परोसे जाने के बाद एक अनियंत्रित यात्री ने याचिकाकर्ता पर पेशाब करने के बाद, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने में विफल रहा है। याचिका में कहा गया है कि अनुमानों से भरी व्यापक राष्ट्रीय प्रेस रिपोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पीड़ित के रूप में याचिकाकर्ता के अधिकार को गंभीर रूप से कम कर दिया है और निष्पक्ष रूप से अभियुक्तों के अधिकारों को भी प्रभावित किया है।

अधिवक्ता राहुल नारायण के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया, याचिकाकर्ता की एयर सेवा शिकायत के चयनात्मक रूप से लीक होने, प्राथमिकी और एक विशिष्ट कथा से मेल खाने के लिए चुनिंदा गवाहों के बयान मीडिया को जारी किए जाने के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं। दलील में कहा गया है कि इस घटना के कारण याचिकाकर्ता 12 घंटे की लंबी उड़ान के दौरान सदमे और संकट में पड़ गई और चालक दल असहयोगी था।

दलील में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर अनियंत्रित यात्रियों के व्यवहार में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) ने दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें सरकारों से अनियंत्रित यात्रियों की पहचान करने और उन्हें संभालने के बारे में व्यावहारिक ²ष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया गया था। दलील में कहा गया है कि डीजीसीए की मई 2017 (सीएआर) की नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं को एक विमान में अनियंत्रित/हानिकारक व्यवहार माना जाने के लिए 'शराबी' या 'शराब' पर विचार करना चाहिए।

याचिका में तर्क दिया गया है कि अधिकारियों को यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भारतीय वाहकों की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर शराब नीति पर दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए, जिसमें यात्रा की श्रेणी के आधार पर बिना किसी भेदभाव के शराब की मात्रा पर सीमा निर्धारित करना शामिल है।

26 नवंबर 2022 की घटना के लिए आरोपी शंकर मिश्रा को 6 जनवरी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने बिजनेस क्लास में महिला पर पेशाब करने के मामले में मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोपी को बाद में जमानत मिल गई थी।

## भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 918 नए मामले, 4 की मौत

**नई दिल्ली (आरएनएस)।** भारत में सोमवार को बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 918 नए मामले दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों की संख्या बढक़र 6,350 हो गई है। सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। इस बीच, देश में कोरोना से चार संक्रमित मरीजों की मौत हुई, जिनमें से दो राजस्थान में, और एक-एक कर्नाटक और केरल में हुई है। मरने वालों की कुल संख्या 5,30,806 हो गई है। वहीं कोरोना से 479 मरीज एक दिन में ठीक भी हुए हैं।

देशभर में कोरोना वायरस से ठीक होने वाली मरीजों की संख्या 4,41,59,182 हो गई है। नतीजतन, रिकवरी रेट 98.80 प्रतिशत है।

इस बीच, डेली पॉजिटिविटी रेट 2.08 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.86 प्रतिशत है। साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 44,225 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या 92.03 करोड़ से अधिक हो गई।

मंत्रालय ने कहा कि सोमवार सुबह तक, कोविड के कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1,246 खुराक शामिल हैं।

## बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बदला मौसम, राजधानी सहित प्रदेश के अन्य शहरों के तापमान में बड़ी गिरावट

**रायपुर (आरएनएस)।** बेमौसम बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ के मौसम में बड़ा बदलाव आया है. राजधानी रायपुर में पारा एक झटके में छह डिग्री नीचे उतर आया है. वहीं दूसरी ओर रबी की फसल के साथ-साथ खेतों में उगाई गई सब्जियों को नुकसान पहुंचा है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से झारखंड तक द्रोणिका/पवन विच्छिन्नता चल रही है, जिसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है. इस वजह से आज छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ वज्रपात होने तथा 30-40 किमी प्रति घण्टे की गति से तेज हवा चली ।

वहीं आज याने 20 मार्च को प्रदेश के एक-दो स्थानों गरज-चमक के साथ वज्रपात होने की अति संभावना जताई गई है.

बेमौसम बरसात की वजह से राजधानी रायपुर में रविवार को 12 डिग्री तापमान में गिरावट के साथ अधिकतम 26.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री के गिरावट के साथ 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दुर्ग में रविवारको अधिकतम तापमान में 7 डिग्री की गिरावट के साथ 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में -7 डिग्री की गिरावट के साथ 14.2 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं पेड्रा में भी रविवारको 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

## हाजी याकूब की 31 करोड़ 70 लाख की संपत्ति जल्द होगी जब्त, 32 वाहन भी हैं शामिल, पुलिस ने कर ली है जब्त करने की तैयारी

**मेरठ (आरएनएस )।** पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की 31 करोड से भी ज्यादा रुपये की संपत्ति जब्त करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। संपत्ति का आंकलन पीडब्लूडी की रिपोर्ट पर हुआ है। जिले में 26 जगह याकूब की संपत्ति मिली है। इसमें 12 वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

31 मार्च 2022 को हाजी याकूब की फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारा था। इसमें याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान सहित 17 को नामजद किया गया था। नवंबर 2022 में याकूब परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

सीओ किठौर रुपाली राय गैंगस्टर के तहत याकूब की संपत्ति जब्त करने के लिए चिह्नित की जा रही थी। इसमें याकूब का हापुड रोड स्थित स्कूल, अस्पताल, मीट फैक्टरी, प्लॉट, सराय बहलीम स्थित दो मकान समेत अन्य जगहों पर संपत्ति बताई गई है।

सीओ किठौर का कहना है कि सभी विभागों से रिपोर्ट आ गई है। जल्द ही जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि थाना खरखौदा में मीट फैक्टरी के अंदर अवैध रूप से मीट की पैकेजिंग के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब की 31 करोड़ 70 लाख की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें 32 दोपहिया व चार पहिया वाहन भी शामिल हैं। जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही इस चल व अचल संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई को किया जाएगा।

**सोनभद्र जेल में लिए याकूब के बयान-** संपत्ति जब्तीकरण करने से पहले मेरठ पुलिस ने पूर्व मंत्री के सोनभद्र जेल में जाकर बयान लिए हैं। पुलिस का दावा है कि अवैध रूप से धन अर्जित करके संपत्ति बनाई गई है। हालांकि याकूब के अधिवक्ताओं ने दोनों ही मुकदमों को गलत बताया है। याकूब के दोनों बेटे जमानत पर बाहर आ गए हैं।